Regarding implementation of crucial legislations for benefit of Indigenous Communities in Assam

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, आज मैं यहां बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि क्योंकि वर्ष 2019 में राज्य सभा में एक बिल आया था, जिसमें असम के हमारे छह महत्वपूर्ण समुदायों को जनजाति का दर्जा दिए जाने की बात थी । जब वह बिल राज्य सभा में आया तो असम के लोगों में एक उल्लास का वातावरण था । उनको लगा कि यह जो बहुत सालों की उनकी याचना थी, वह आज पूरी होने वाली है । लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह बिल वहीं तक रह गया । उस बिल पर सरकार ने आगे कुछ भी नहीं किया । चुनाव आए और चुनाव के बाद वह बिल असम के लोगों को दोबारा दिखाई नहीं दिया । वे छह समुदाय हैं - Tai-Ahom, Moran, Motok, Koch-Rajbongshi, Chutiya, and Tea Tribe. ये छह समुदाय एक साथ हैं । ये छह के छह समुदाय आज बोल रहे हैं कि हमको एक साथ जनजाति का दर्जा दीजिए । स्वाभाविक रूप से वे समुदाय जिनको पहले से ही जनजाति का दर्जा मिल चुका है, उनके मन में शंका है कि अगर जनजाति की तालिका को और बढ़ा दिया जाएगा, तो कहीं उनके अधिकारों पर हनन तो नहीं होगा । हम हमेशा ऐसी मांग करते हैं कि वर्तमान में जिनको जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, उनके अधिकारों का कोई हनन न हो । लेकिन सरकार एक तरीका निकाले, जिससे कि Tai-Ahom, Moran, Motok, Koch-Rajbongshi, Chutiya, and Tea Tribe को जनजाति का दर्जा और अधिकार मिले । जो समुदाय अभी जनजाति की सूची में हैं, उनके पास 6th शेड्यूल काउंसिल्स हैं और यह सिर्फ असम की नहीं, उत्तर-पूर्व में संविधान के 125वें संशोधन के माध्यम से भारत सरकार ने उनको काउंसिल्स दिए हुए हैं । इसलिए ये काउंसिल्स भी चाहती हैं, आज उनको शासन करने का एक अनुभव मिल चुका है, वे अपनी ताकत और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं मांग कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार उत्तर-पूर्व में जो एसटी काउंसिल्स हैं, जो संविधान के 125वां संशोधन द्वारा हैं, इनक्लूडिंग त्रिपुरा, मेघालय और असम, उनके साथ बात करें और उनकी पॉवर्स को बढ़ाने की कोशिश करें । धन्यवाद ।